-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुराने विवाद में व्यक्ति के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुराने विवाद को लेकर व्यक्ति के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 26.06.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत खुटला रहुनिया के रहने वाले संतोष पुत्र उमाशंकर ने दुकान के पुराने विवाद को लेकर मकान मालिक साजू प्रसाद के ऊपर ज्वेलरी में इस्तेमाल किये जाने वाले ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया जिससे वह झुलस गया। घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया वर्तमान में पीड़ित की स्थिति सामान्य है। प्रकरण में पीड़ित के पुत्र विकास की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया साथ ही घटना में प्रयुक्त ज्वलनशील पदार्थ की टूटी हुई कांच की बोतल भी बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा ज्वेलरी में इस्तेमाल किये जाने वाले ज्वलनशील पदार्थ को व्यक्ति के ऊपर डालना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 27.06.2026 को मा0 न्यायालय भेजा गया है।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त ज्वलनशील पदार्थ के कांच की टूटी बोतल।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संतोष पुत्र उमाशंकर निवासी खुटला रहुनिया थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 324/26 धारा 124(1)/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री प्रभुनाथ यादव निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली नगर
2. श्री शुभम कौशिक चौकी प्रभारी कालवनगंज
3. कां0 आलोक सोनकर
4. कां0 विकास कुमार
5. कां0 विवेकानन्द